

(1) पत्रावली संख्या:— 23/2016/निगरानी

- 1 हणमानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट
- 2 महावीर पुत्र गणपत राम जाति जाट
- 3 शेराराम पुत्र कालूराम
- 4 बनवारी पुत्र रेखाराम जाति जाट
- 5 रामवतार पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1 ग्राम पंचायत नरोदड़ा जरिये सरपंच
- 2 नरेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

गैर निगरानीकर्तागण

(2) पत्रावली संख्या:— 24/2016/निगरानी

- 1 हणमानाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट
- 2 महावीर पुत्र गणपत राम जाति जाट
- 3 शेराराम पुत्र कालूराम
- 4 बनवारी पुत्र रेखाराम जाति जाट
- 5 रामवतार पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1 ग्राम पंचायत नरोदड़ा जरिये सरपंच
- 2 सुबोध कुमारी थालौड़ पत्नी श्री नरेश कुमार जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध पट्टा संख्या 14 व 15 दिनांक 16.02.2013 द्वारा
ग्राम पंचायत नरोदड़ा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़

वकील प्रार्थी श्री सज्जन सिंह
वकील अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार मातवा

निर्णय

दिनांक:—28.03.2018

उपरोक्त दोनों निगरानी में तथ्य एक समान होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

332/1 एवं गोचर भूमि ख.न. 313 पर 0.25 है० भूमि पर अतिक्रमण कर अपनी कृषि भूमि खसरा 333/2 में मिलाकर अतिक्रमण कर लिया। उक्त अतिक्रमण के संबंध के निगरानीकर्तागण एवं ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ एवं जिला कलक्टर सीकर में शिकायत करने पर गैर सायल सं. 2 के पिता/ससुर देवेन्द्र सिंह के विरुद्ध 91 भूराजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जाकर गोचर भूमि पर 0.10 हैक्टर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने मय पुलिस जाप्ता के दिनांक 28.07.2009 को बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिया तथा बंजड़ जोहड़ की भूमि ख. न. 332/1 पर किये गये अतिक्रमण 0.15 हैक्टर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विचाराधीन होकर की जा रही थी। इस दौरान गैर सायल संख्या 2 एवं गैर सायल 2 के पिता/ससुर ने एक वाद न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया एवं उक्त वाद के साथ एक आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर साजशी कार्यवाही में स्टे आदेश प्राप्त कर लिया। न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड लक्ष्मणगढ़ ने वाद विचाराधीन रहते हुए एवं स्टे आदेश होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रूक गई। इस दौरान ग्राम पंचायत नरोदड़ा सरपंच ने बंजड़ जोहड़ की भूमि को गलत रूप से आबादी भूमि बताकर पट्टा जारी कर चुनौतीग्रस्त पट्टा संख्या 14 व 15 गैर सायल संख्या 2 के नाम से बना जारी कर दिये। गैर सायल संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये चुनौतीग्रस्त पट्टा के सम्बन्ध में कानूनन 1 माह का उज्रदारी सार्वजनिक नोटिस जारी करने का कानूनी प्रावधान है, अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने चुनौतीग्रस्त कथित पट्टा संख्या 14 व 15 के सम्बन्ध में दिनांक 21.01.13 को कथित रूप से नोटिस जारी करना अपनी आज्ञाओं की सूची दिनांक 21.1.13 में अंकित किया है, लेकिन उक्त पट्टा 1 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व दिनांक 16.02.13 को ही साजशी रूप में गैर कानूनी रूप से जारी कर दिये गये। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच ने सम्पूर्ण न्याय नियमों को ताक में रखकर एवं न्याय नियमों की अवहेलना कर चुनौतीग्रस्त पट्टा जारी किया गया है। पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 157(1) के अन्तर्गत कथित पट्टा जारी करना अंकित किया है। जो सर्वदा गैर कानूनी है। 157(1) के तहत पट्टा कानूनन तभी जारी किया जा सकता है जब आवेदन कर्ता का भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से लगातार कब्जा अधिकार उपयोग उपभोग चला आ रहा हो, अन्यथा इस प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि बंजड़ जोहड़ की भूमि है तथा ग्रामवासीयों एवं निगरानीकर्तागण के पशुधन चराने एवं पानी पीने के उपयोग में आती है। विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से बचने के लिए गैर सायल संख्या 2 व देवेन्द्र सिंह ने गलत तथ्य अंकित कर एक साजीशवाद नरेश कुमार बनाम देवेन्द्र सिंह आदि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ के यहां प्रस्तुत कर दिया तथा इस वाद के साथ एक आवेदन संख्या 73/2009 प्रस्तुत कर साजशी कार्यवाही में स्टे आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ में वाद विचाराधीन रहते हुए एवं स्टे आदेश प्रभावित रहते हुए सरपंच ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा गलत रूप से चुनौतीग्रस्त पट्टा संख्या 14 व 15 दिनांक 16.02.2013 जारी कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे संख्या 14 व 15 दिनांक 16.02.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जो गलत जारी किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत कानूनी रूप से पट्टा तभी जारी किया जा सकता है जब आवेदनकर्ता उक्त भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से मकान बनाकर काबिज हो। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 व 15 निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 157(1) के नियमों को ध्यान में

आवेदन प्राप्त होने पर आदेशिका दिनांक 05.01.2013 में आवेदन दर्ज कर मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बंध में आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस दिनांक 21.01.2013 का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 05.02.2013 का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 05.02.2013 इस प्रकार है— “आज दिनांक 05.02.2013 को उक्त पत्रावली पंचायत मीटिंग में प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पूर्वजो से कब्जा है तथा पट्टा जारी होने पर यातायात अवरूद्ध नहीं होता है तथा सुखाचार पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। आपत्ति जारी होने पर किसी ने आपत्ति नहीं पेश की है। पंचायत निर्णयानुसार प.अ. 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत 2005 पट्टा फीस व 10 रूपये प्रतिगज से विकास शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जावे।” पत्रावली पर उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण एक टाईपशुदा प्रपत्र पर किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 व 15 पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जाता है, जंहा व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराना गृह हों। व्यक्ति का 50 वर्ष से अधिक पुराना गृह/संनिर्माण हो, जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में केवल मात्र स्वयं का कदीमि कब्जा शुदा भूमि होना अंकित किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 05.02.2013 में प्रार्थी का उक्त भूमि पर पूर्वजो से कब्जा होना अंकित किया हुआ है। पूर्वजो से कब्जा एवं कब्जा शुदा भूमि होने के आधार पर पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा आवंटित नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा अनुसार पट्टा स्थल के दक्षिण दिशा में रास्ता आम रोड़ दर्शायी गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में सड़क सीमा से कितनी दूरी को छोड़ते हुये पट्टा जारी किया गया है, का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस में केवल मात्र आवेदक का नाम अंकित किया हुआ है जबकि उक्त नोटिस में भूमि का विवरण कहीं भी अंकित नहीं किया हुआ है, ना ही उक्त नोटिस को किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने का कोई उल्लेख किया हुआ है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 14 व 15 दिनांक 16.02.2013 निरस्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय प्रकाश)

अति० जिला कलेक्टर, सीकर